न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास जिला अलवर राज.

अध्यासित द्वारा :– ओमप्रकाश सहारण , आर.ए.एस.

मु.न.	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
204 / 21	28.12.2021	24.01..2022

उनवान

1. फारूक पुत्र निज्जरखां जाति मेव निवासी बाघोडा तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज.

:– वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढबास ,लैण्ड होल्डर , किशनगढबास जिला अलवर राज.

:– प्रतिवादी

दावा इश्तकरारहक मय हुक्मईम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88,89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012

....

उपस्थितिः–

1. श्री लेखराम वकील वादी की और से
2. प्रतिवादी की और से पैरोकार सरकार ।

–:निर्णय :–

वकील वादी ने वाद प्रस्तुत का सुक्ष्म वृतान्त निम्न प्रकार से हैः–

वकील वादी ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि साबिक आराजी खसरा नम्बर 1026 मिन रकबा 0–15 बिस्वा जिसका हाल खसरा नम्बर 1086 रकबा 0.19 हे., साबिक खसरा नम्बर 1026 रकबा 0–15 बिस्वा जिसका हाल खसरा नम्बर 1087 रकबा 0.20 हे. वाके ग्राम बाघोडा तहसील किशनगढबास पैमूद हुआ है । साबिक खसरा नम्बर 1026 मिन रकबा 0–15 बिस्वा व साबिक खसरा नम्बर 1026 मिन रकबा 0–15 बिस्वा पल्टू मौजूद रहीम खा निष्क्रान्त पित्र नारंगी समभाग निस्फ सुफदा, सुमेर पि. घोषी समभाग 1 हि. निष्क्रान्त निवाज खा पुत्र बुद्वा 1 हि. निष्क्रान्त कासम पुत्र चिम्मन 1 हि. दर निष्क्रान्त राहिनान डून्न पुत्र चकमल मेव नि0 मुरतहन कृषक राहिन निस्फ बुधसिह , नबीखां पि. डून्ना मुरतहन निस्फ का अंकन सम्वत 2017 मे हो रहा है।

पल्टू वैगरा जो हिन्दु पाकिस्तान फिसाद के वक्त पाकिस्तान चले गये , जिस पर आराजी को निष्क्रान्त घोषित किया गया, जिस पर बुधसिह , नबीखां पुत्रान डून्ना जाति मेव बाघोडा काबिज होकर काश्त करने लगे, जिनके नाम राहिनान का अंकन सम्वत 2017 से लगातार ताहाल चला आ रहा है । नबीखां पुत्र डून्ना जाति मेव निवासी बाघोडा तहसील किशगनढबास जिसके नाम का अंकन राहिन का अंकन राजस्व रिकार्ड मे था जिन्होने उक्त आराजी खसरा नम्बर 1186 रकबा 0.19 हे0, 1187 रकबा 0.20 हे. वाके ग्राम बाघोडा तहसील किशगनढबास का बेचान सौदा मिन वादी के साथ दिनांक 21.12. 2010 को 1,17,000रू. मे तैय किया तथा उकत आराजी जरिये इकरारनामा दिनांक 21. 12.2010 को मिन वादी को बेचान कर दी तथा वक्त इकरारनामा मिन वादी से अपनी समस्त रकम 1,17,000रू. प्राप्त कर उक्त आराजी पर मिन वादी का कब्जा करा दिया गया था तथा सौदा की ताईद मे इकरारनामा तहरीर वो मकमिल किया गया। विवादित आराजी पर हम वादी का कब्जा काश्त है।

विवादित आराजी पर मिन वादी 11वर्षो से भी अधिक अवधि से बतौर खरीददार काश्तकार मौके पर काबिज वो दखिल है व काश्त करते चले आ रहे है इसलिए वादी अवैध हस्तनान्तरण राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012 के अनुसार राजकोष मे विवादित आराजी की राशि जमा कराने को तैयार है तथा विवादित आराजी के हकूक खातेदारी प्राप्त करने हेतु दावा हाजा दायर है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

अतः प्रार्थना है कि वाद वादी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावेः— ,

अ— डिक्री बहक वादी पारित की जाकर विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 1186 रकबा 0.19 हे0, 1187 रकबा 0.20 हे. वाके ग्राम बाघोडा तहसील किशगनढबास का वादी खरीददार काबिज काश्तकार है तथा अवैध हस्तानान्तरण व कब्जे के आधार पर राजस्व रिकार्ड को राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012 के अनुसार नियमितिकरण शुल्क एवं शास्ती जमा करा खातेदारी हकूक प्राप्त करने के अधिकार है । तथा वादी के नाम का अंकन राजस्व रिकार्ड मे बतौर खातेदार दर्ज किया जावे।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी पैरोकार सरकार उपस्थित नही। वाद का अवलोकन किया । वाद राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012 के अनुसार है । तथा प्रकरण मे विवादित आराजी के कब्जा काश्त बाबत रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार मौके पर विवादित आराजी के 1/2 हिस्से पर वादी का कब्जा काश्त है।

हमने वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए वाद वादीगण को डिक्री किये जाने की इश्तदुआ की।

हमने वकील वादी की बहस का मनन किया तथा पत्रावली का अध्योपान्त अवलोकन किया। हाल जमाबन्दी सम्वत 2074—77 मे दर्ज कादर पुत्र जिम्मन वैगरा के साथ बुधसिह नबीखां पुत्र डून्ना मेव सा. देह मुर्तहन दर्ज राजस्व रिकार्ड है मुर्तहन नबीखा द्वारा आराजी उक्त के 1/2 हिस्से का बेचान जर्ये इकरारनामा दिनांक 21.12.2010 के द्वारा वादी को किया है। तथा मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2029 के अवलोकन से हाल खसरा नम्बर 1186 रकबा 0—15 का साबिक खसरा नम्बर 1026 मिन रकबा 0—15 बिस्वा एव हाल खसरा नम्बर 1187 रकबा 0—16 बिस्वा जिसका साबिक खसरा नम्बर 1026 मिन रकबा 0—16 बिस्वा पैमूद हुआ है। प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2017 मे अवलोकन से खाता सख्या 1 जिसमे साबिक आराजी 1026 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा मे मुर्तहन डून्ना पुत्र चकमल मेव दर्ज राजस्व रिकार्ड है राजस्व रिकार्ड मे दर्ज मुर्तहन द्वारा अपना 1/2 हिस्सा जर्ये इकरारनामा दिनांक 21.12.2010 के द्वारा वादी को विक्रय किया गया। प्राप्त तहसीलदार किशनगढबास रिपोर्ट के अनुसार मौके पर वादी का कब्जा काश्त है चूकी आराजी उक्त का जर्ये इकरारनामा के अवैध हस्तानान्तरण हुआ है मौके पर कब्जा काश्त है इसलिए हम राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.2.2012 के अनुसार नियमितिकरण शुल्क एवं शास्ती जमा करा खातदेारी हकूक प्रदत्त किया जाना उचित एवं न्याय संगत समझते है। न्याय एवं विधि का सिद्वान्त यही है वाद वादी काबिले डिक्री करार पाता है।

अतः आदेश हैः—

वाद वादी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाकर वादी को आराजी खसरा नम्बर 1186 रकबा 0.19 हे. एवं 1187 रकबा 0.20 है. कुल किता 2 रकबा 0.39 है वाके ग्राम बाघोडा तहसील किशगनढबास को काबिज काश्तकार खातेदार घोषित किया जाता है। वादी आराजी उक्त की राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012 के अनुसार नियमितिकरण शुल्क एवं शास्ती जमा कराने पर सनद खातेदारी जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है राशि जर्ये चालान जमा होकर सनद खातेदारी जारी हो। तथा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज राहिन एवं मुर्तहन नबीखां पुत्र डून्ना के अंकन 1/2 हिस्से की जद तक कलमजन कर मुताबिक सनद खातेदारी वादी के पक्ष मे राजस्व रिकार्ड मे अमल किये जाने के आदेश दिये जाते है। खर्चा वादी स्वयं वहन करेगे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तकमिल दाखिल लेख भण्डार हो। सुनाया गया।

ओमप्रकाश सहारण
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास जिला अलवर राज.
अध्यासित द्वारा :– ओमप्रकाश सहारण , आर.ए.एस.

मु.न.	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
204 / 21	28.12.2021	24.01कृ2022

पर्चाडिकी

उनवान

1. फारूक पुत्र निज्जरखां जाति मेव निवासी बाघोडा तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज.

:– वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढबास ,लैण्ड होल्डर , किशनगढबास जिला अलवर राज.

:– प्रतिवादी

दावा इश्तकरारहक मय हुक्मईम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88,89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012

....

उपस्थिति:–

1. श्री लेखराम वकील वादी की और से
2. प्रतिवादी की और से पैरोकार सरकार ।

वाद वादी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी डिकी किया जाकर वादी को आराजी खसरा नम्बर 1186 रकबा 0.19 हे. एवं 1187 रकबा 0.20 है. कुल किता 2 रकबा 0.39 है वाके ग्राम बाघोडा तहसील किशगनढबास को काबिज काश्तकार खातेदार घोषित किया जाता है। वादी आराजी उक्त की राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012 के अनुसार नियमितिकरण शुल्क एवं शास्ती जमा कराने पर सनद खातेदारी जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है राशि जर्ये चालान जमा होकर सनद खातेदारी जारी हो। तथा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज राहिन एवं मुर्तहन नबीखां पुत्र डून्ना के अंकन 1/2 हिस्से की जद तक कलमजन कर मुताबिक सनद खातेदारी वादी के पक्ष मे राजस्व रिकार्ड मे अमल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

ओमप्रकाश सहारण
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास

प्रारूप सख्या 6
(देखिये नियम 15(3))
सनद का प्रारूप

चूकी राजस्थान भू. राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन नियम 1970 तथा आवंटन आदेश मे निर्णित शर्तो एवं राजस्थान निष्कान्त कृषि भूमि का अस्थाई आवंटन नियम 1963 के संशोधित (राजस्व विभाग के नोटिफिकेशन दिनांक 6.10.2009 एवं संशोधित परिपत्र 30.3.2012 के अधीन /नियमन की गई भूमि की खातेदारी सनद निम्न प्रकार से जारी की जाती है।

1. आवंटन/ नियमन का दिनांक व स्थान	जयें वाद फारूक बनाम सरकार मु.न. 204/21 निर्णय दिनांक 24.01.2022
2. खातेदार का नाम व पूर्ण पता	फारूक पुत्र निज्जरखां जाति मेव निवासी बाघोडा तहसील किशगनढबास जिला अलवर राज.
3. तहसील व जिला	तहसील किशनगढबास जिला अलवर
4. राजस्व ग्राम जंहा भूमि स्थित है।	ग्राम बाघोडा तहसील किशनगढबास
5. भूमि का क्षेत्रफल मय खसरा नम्बर मय किस्म	खसरा नम्बर 1186 रकबा 0.19 हे.,1187 रकबा 0.20हे. कुल किता 2 रकबा 0.39 हे. वाके ग्राम बाघोडा तहसील किशनगढबास किस्म खातानुसार
6. लगान दर	खातानुसार
7. राशि जमा होने का चालान नम्बर मय दिनांक	जी.आर.एन. 57934294 से राशि 3120 रू. (तीन हजार एक सौ बीस रूपये मात्र) मद 0075 जी.आर.एन. 57934543 से राशि 1560 रू. (एक हजार पांच सौ साठ रूपये मात्र)मद 0049

नोटः— यह सनद राजस्व रिकार्ड मे दर्ज उक्त खसरा नम्बर मे दर्ज राहिन एवं मुर्तहन नबीखां पुत्र डून्ना के 1/2 हिस्से को कलमजन किया जाकर जारी की गई।

ओप्रकाश सहारण
उपखण्डअधिकारी
किशनगढबास

दिनांक 02/02/22

कमाक/सम/2022/1619-22

प्रतिलिपिः—

1. .तहसीलदार किशनगढबास को प्रेषित कर लेख है कि प्रार्थी का सनद के अनुसार खातेदारी नामान्तकरण दर्ज कर नामान्तकरण दर्ज किये जाने की कार्यवाही करे।
2. पटवारी हल्का को प्रेषित कर लेख है मुताबिक सनद नामान्तरकरण दर्ज कर राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करे।
3. प्रार्थी फारूक पुत्र निज्जर खां जाति मेव निवासी बाघोडा तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज.
4. रक्षित पत्रावली

ओमप्रकाश सहारण
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास